प्रतापीलाल आदि - सरकार फाइल नं 23/13

दिनांक	आज्ञा पत्र	
20.6.24	पत्रावली पेश। वकील अपीलार्थी उपस्थित। वास्ते बहस दिनांक 31.7.24 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
31/7/24	पत्रावली पेश। वकील अपीलार्थी सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 5/8/24 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
5/8/24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट रिमाण्ड की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 79/2019

1 प्रभातीलाल पुत्र मांगीलाल
2 रामचन्द्र पुत्र मांगीलाल जाति माली निवासीगण ढाणी किशनाराम तन जुगलपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील खण्डेला जिला सीकर।
2 नन्दलाल पुत्र मांगीला जाति माली निवासी ढाणी किशनाराम तन जुगलपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर।
3 प्रभूदयाल (मृत)
3/1 उमराव पुत्री प्रभूदयाल
3/2 चंदा पुत्री प्रभूदयाल
3/3 कमला पुत्री प्रभूदयाल
3/4 संजू पुत्री प्रभूदयाल
3/5 धापू पुत्री प्रभूदयाल
3/6 मंजू पुत्री प्रभूदयाल
3/7 चिरंजीलाल पुत्री प्रभूदयाल
3/8 सत्यनारायण पुत्र प्रभूदयाल
3/9 हेमन्त कुमार पुत्र प्रभूदयाल
3/10 आंची देवी पत्नी प्रभूदयाल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

समस्त जाति कुमावत निवासीगण श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उनवानी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खण्डेला बनाम नन्दलाल आदि मुकदमा नम्बर 22/2019 दिनांकित 16.08.2019

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री पोकरमल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री महेश जाखड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 5.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 22/2019 में पारित निर्णय दिनांक 16.08.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 बाबत भूमि खसरा नम्बर 217 वाके ग्राम मेघपुरा प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को गलत रूप से दावा के रूप में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किये जाकर पत्रावली में तारीख पेशी दिनांक 03.07.2019 निर्धारित की गई। दिनांक 03.07.2019 को अपीलान्टस ने श्री सुभाषचन्द शर्मा एडवोकेट को अपना वकील नियुक्त किया तथा उनकी ओर से वकालतनामा भी प्रस्तुत कर दिया गया तथा इस आशय का अंकन अपीलाधीन प्रार्थना पत्र के शीर्षक पर अंकित कर दिया तथा पत्रावली के कवर पर तारीख पेशी 06.08.2019 अंकित करके तारीख पेशी अपीलांटस को बता दी गई परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली में जो आदेशिका लिखी गई उसमें वकालतनामा प्रस्तुति के बावजूद अपीलान्टस को अनुपस्थित बताकर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने के आदेश पारित कर दिये गये तथा कवर पर लिखी गई तारीख पेशी को बदल कर दिनांक 15.07.2019 निर्धारित कर दी गई। दिनांक 15.07.2019 से दिनांक 29.07.2019 तथा दिनांक 29.07.2019 से दिनांक 05.08.2019 तथा दिनांक 05.08.2019 से दिनांक 16.08.2019 बदले हुए अपीलाधीन आदेश बिना अपीलान्टस को अपना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पक्ष प्रस्तुति का अवसर दिये बिना पारित कर दिया गया जो कतई प्रकियात्मक विधि एवं प्राकृतिक न्याय शास्त्र के प्रतिकूल होने के कारण स्थिर रहने योग्य नहीं है। अपीलान्टस वादग्रस्त भूमियों में से अपने हक, हिस्से की भूमि को आज दिन तक अकृषि भूमि में नहीं बदला है पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर सम्पूर्ण भूमि को गलत रूप से सिवाय चक दर्ज करने तथा बेदखली बाबत आदेश पारित कर दिया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजों एवं कानूनी स्थिति का सही रूप से विवेचन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन नहीं किया गया इस कारण भी अपीलाधीन आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है। अपीलान्टस विवादित भूमि के 1/6–1/6 हक, हिस्से के रिकार्डेड खातेदार, काश्तकार है जिसके बाबत अवैध रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट के आवेदन पर प्रतिवादीगण अपीलांट को विधि अनुसार नोटिस जारी किये गये थे। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी अपीलांट के बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। पत्रावली में प्रस्तुत पटवारी की मौका रिपोर्ट से अपीलांट द्वारा कृषि भूमि को अकृषि में उपयोग लिया जाना साबित है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से आवेंदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की वहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को गलत रूप से दावा के रूप में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किये जाकर पत्रावली में तारीख पेशी दिनांक 03.07.2019 निर्धारित की गई। दिनांक 03.07.2019 को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपीलान्टस ने श्री सुभाषचन्द शर्मा एडवोकेट को अपना वकील नियुक्त किया तथा उनकी ओर से वकालतनामा भी प्रस्तुत कर दिया गया तथा इस आशय का अंकन अपीलाधीन प्रार्थना पत्र के शीर्षक पर अंकित कर दिया तथा पत्रावली के कवर पर तारीख पेशी 06.08.2019 अंकित करके तारीख पेशी अपीलांटस को बता दी गई परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली में जो आदेशिका लिखी गई उसमें वकालतनामा प्रस्तुति के बावजूद अपीलान्टस को अनुपस्थित बताकर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने के आदेश पारित कर दिये गये तथा कवर पर लिखी गई तारीख पेशी को बदल कर दिनांक 15.07.2019 निर्धारित कर दी गई। दिनांक 15.07.2019 से दिनांक 29.07.2019 तथा दिनांक 29.07.2019 से दिनांक 05.08.2019 तथा दिनांक 05.08.2019 से दिनांक 16.08.2019 बदले हुए अपीलाधीन आदेश बिना अपीलान्टस को अपना पक्ष प्रस्तुति का अवसर दिये बिना पारित कर दिया गया जो कतई प्रकियात्मक विधि एवं प्राकृतिक न्याय शास्त्र के प्रतिकूल होने के कारण स्थिर रहने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजों एवं कानूनी स्थिति का सही रूप से विवेचन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन नहीं किया गया इस कारण भी अपीलाधीन आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है। अपीलान्टस विवादित भूमि के 1/6–1/6 हक, हिस्से के रिकार्डेड खातेदार, काश्तकार है। अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है, विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिक प्रकिया की पालना कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 5.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम भोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर